चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थाना बहिलपुरवा पुलिस टीम ने दहेज हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त का नाम पता का विवरण-
चुनवाद पुत्र शिवनन्दन निवासी रूकमाबुजुर्ग थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट
संक्षिप्त विवरण-
दिनाँक वादी नंदकिशोर पुत्र स्व० मिर्चीलाल ग्राम रैपुरवा माफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बहिलपुरवा में सूचना दी कि उनकी पुत्री रोहिणी देवी का विवाह कौशल किशोर उर्फ बिल्ला पुत्र चुनबाद निवासी रुखमा बुजुर्ग थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के साथ दिनांक 06.05.2023 को अपनी हैसियत से ज्यादा दान दहेज देकर विवाह किया था लेकिन पुत्री के ससुरालीजन पति कौशल किशोर, ससुर चुनबाद पुत्र शिवनन्दन, सास सुंता पत्नी चुनबाद, जेठानी चुन्नी पत्नी लवकुश निवासीगण रुखमा बुजुर्ग थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट शादी में दिये गए दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे तथा आए दिन मोटरसाइकिल की मांग किया करते थे। दिनांक 23.09.2025 को रात्रि 09.00 बजे किसी अज्ञात नंबर से फोन आया और उसने बताया कि आपकी बेटी को उसके ससुरालीजन ने मार डाला है। इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 61/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा थानाध्यक्ष बहिलपुरवा को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज दिनाँक 05.12.025 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त चुनवाद पुत्र शिवनन्दन निवासी रूकमाबुजुर्ग थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गौडा मोड़ से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह
2.का० अजीत यादव
3.का0 सतीश कुमार
4.म0का0 रीना यादव
5.चालक हे0का0 राजकुमार

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा नाबालिक को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.11.2025 को थाना मारकुण्डी अन्तर्गत ग्राम निवासी एक वादी द्वारा थाना मारकुण्डी पर सूचना दी कि दिनांक 21/11/2025 को उनकी पुत्री दीपू कोलान किहुनिया मे आयी थी। दिनांक 21/11/2025 को समय करीब दोपहर 12 बजे के बाद घर से बिना बताये कहीं चली गई है काफी खोज बीन किये किन्तु कोई पता नही चल सका उनकी पत्नी के साथ पुत्री दीपावली के बाद घर से अतर्रा जनपद बांदा में मजदूरी करने के लिये गई थी। वही पर काम करने वाला लडका विशाल पुत्र सीताराम द्वारा ही उनकी पुत्री को बहला फुसला कर भागा ले जाया गया है। विवेचना के क्रम में विशाल द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने की बात प्रकाश में आयी। पुलिस टीम द्वारा पीडिता को सकुशल बरामद कर आज दिनांक 05.11.2025 को अभियुक्त विशाल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम-
उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना मारकुण्डी